भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2595 का उत्तर

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक रेलवे लाइन

2595. श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक दो चरणों में नई पांचवीं और छठी लाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है और सरकार द्वारा अब तक कितनी निधि स्वीकृत और जारी की गई है;

(ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार की इस पहल से जनसाधारण को किस प्रकार लाभ होगा; और

(ङ) क्या सरकार का मुंबई शहर में, विशेषकर दिन के व्यस्ततम समय के दौरान, भीड़भाड़ को कम करने के लिए और अधिक रेलवे लाइनें बनाने अथवा बिछाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कुर्ला तक रेलवे लाइन के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री वसंतराव बलवंतराव चव्हाण और श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे के अतारांकित प्रश्न सं. 2595 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II के अंतर्गत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर 891 करोड़ रुपये की लागत पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) और कुर्ला (17.5 किलोमीटर) के बीच नई पांचवीं और छठी लाइन के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। परेल एवं कुर्ला (10 कि.मी.) के बीच पांचवीं और छठी लाइन का कार्य शुरू किया गया है और अब तक 522 करोड़ रु. का व्यय किया गया है।

इसके अलावा, मुंबई उपनगरीय गलियारों (छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला सहित) में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए और यात्रियों की भावी मांगों को पूरा करने के लिए, 8,087 करोड़ रुपए की लागत वाली मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी)-II, 10,947 करोड़ रुपए की लागत वाली एमयूटीपी-III और 33,690 करोड़ रुपये की लागत वाली एमयूटीपी-IIIए को स्वीकृत किया गया है। इन परियोजनाओं में मुंबई उपनगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित रेल लिंक शामिल हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1	मुंबई सेंट्रल-बोरीवली छठी लाइन (30 कि.मी.)	919
2	हार्बर लाइन गोरेगांव-बोरीवली का विस्तार (7 कि.मी.)	826
3	विरार-दहाणु रोड की तीसरी एवं चौथी लाइन (64 कि.मी.)	3587

4	सीएसटीएम-कुर्ला पांचवीं एवं छठी लाइन (17.5 कि.मी.)	891
5	पनवेल-करजत उपनगरीय गलियारा (29.6 कि.मी.)	2782
6	एरोली-कलवा (एलिवेटेड) उपनगरीय गलियारा लिंक (3.3 कि.मी.)	476
7	बोरीवली-विरार पांचवीं एवं छठी लाइन (26 कि.मी.)	2184
8	कल्याण-आसनगांव के बीच चौथी लाइन (32 कि.मी.)	1759
9	कल्याण-बदलापुर के बीच तीसरी और चौथी लाइन (14.05 कि.मी.)	1510
10	कल्याण यार्ड-मेन लाइन और उपनगरीय लाइन का पृथक्करण	866

इसके अलावा, नायगांव और जूचंद्र (5.73 किमी) के बीच वसई बाईपास लाइन (दोहरी लाइन) के निर्माण को 175.99 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकृति दी गई है। उपनगरीय गलियारों पर भावी मांगों के लिए इन गलियारों का अत्यधिक विस्तार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

इन सभी एमयूटीपी परियोजनाओं को रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के बीच लागत में 50:50 भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार 2022-23 तक प्रतिबद्धता के अनुसार समय पर अपेक्षित धनराशि प्रदान नहीं कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को पूरा करने में देरी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल, 2023 से एमयूटीपी-IIIए परियोजनाओं का वित्तपोषण शुरू कर दिया है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना/ओं की साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि पर निर्भर करता है। ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में (i) निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि, (ii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, (iii) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (iv) शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी और वन्यजीव क्लीयरेंस के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को हल करना शामिल है।

*****